

5 pages



250

पूर्वोत्तर रेलवे

1/08/2017

कार्यालय  
महाप्रबन्धक (कार्मिक)  
गोरखपुर।

ई0पी0सी0-20-01

संसांक-08/2017

आरबीई सं0-04/2017

सं0 ई/540/3/आर-1/भाग-2/चार

दिनांक 7-02-2017

सचिव/महाप्रबन्धक,  
सचिव/अपर महाप्रबन्धक,  
सभी विभागाध्यक्ष,  
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक,  
सभी कार्मिक अधिकारी,  
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक,  
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना,  
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-1,1985 संस्करण (द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण-2003) के अध्याय 8-रेल कर्मचारी हित निधि से सम्बन्धित उपबंधों में संशोधन।

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या ई(डब्ल्यू)2014/एफ्यू-1/1 दिनांक 18.01.2017 (संलग्नक सहित) की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि संलग्न कर सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

18.02.17  
(ए0 के0 सिंह)

उपभुकाधि/अराज  
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेलुव एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 5- नुकार्याधी/एमपीपी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

19 JAN 2017  
RB  
1/2  
20/1/17

cpo  
2  
02/2017  
37

RDE No. 04-2017  
ACS No.130

भारत सरकार Government of India  
रेल मंत्रालय Ministry of Railways  
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

No.E(W)2014/FU-1/1

New Delhi, dt:18.01.2017

The General Managers,  
All Zonal Railways and  
Production Units etc.

NER

24-11  
27/1/17  
SPD/NG  
copy sent to

Secy to CPO  
ch. 05/Welfare

Sub: Amendment of provisions relating to Railway Staff Benefit  
Fund - Chapter-3 of the Indian Railway Establishment Code  
Volume-1, 1985 Edition (Second Reprint Edition - 2003).

30.01.17

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that S.No. 1 of Rule 805 of the Indian Railway Establishment Code, Volume 1, 1985 Edition be amended as per enclosed Advance Correction Slip No.130. This amendment is effective from the date of instructions issued vide letter No. E(W)2014/FU-1/1 dated 30.07.2014.

2. Hindi version is enclosed.
3. Please acknowledge receipt.

Encl : Advance Correction Slip

(Sunil Kumar)  
Director, Estt.(Welfare),  
Railway Board.

No.E(W)2014/FU-1/1

New Delhi, dt:18.01.2017

1. FA & CAO, All Zonal Railways & Production Units etc.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).

12  
2/3  
3/2017

For Financial Commissioner/Railways.

-----2/-

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE VOLUME-I, 1985 EDITION

(Second Reprint Edition-2003)

3  
08/2017

CHAPTER-8

Staff Benefit Fund

Advance Correction Slip No.130

S.No.1 of Rule 805 may be substituted as follows:

| S. No. | Head/activity                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Allocation (in ₹) | Scope                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Education – Scholarship for Higher Technical/Professional Education for wards of non-gazetted staff in grade pay of above ₹ 2400/- (as per pre-revised Railway Services Pay Rules, 2008) corresponding to revised level in pay matrix in Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 @ ₹ 1500 p.m. | 116               | For wards of railway employees in grade pay of above ₹ 2400/- (as per pre revised Railway Services Pay Rules, 2008) corresponding to revised level in pay matrix in Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 pursuing Higher Technical/ Professional Education. |

(Authority Board's letter No.E(W)2014/FU-1/1 dated 08.12.2014).

आर जी ई सं. 04/2017

एसीएस सं. 130

4  
08/2017

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डब्ल्यू)2014/एफयू-1/1

नई दिल्ली, दिनांक 18.01.2017

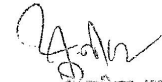
महाप्रबंधक  
राष्ट्रीय रेलें एवं  
उत्पादन इकाइयां आदि.

विषय: भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-1, 1985 संस्करण (द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण-  
2003) के अध्याय 3 - रेल चर्मचारी हित निधि से संबंधित उपबंधों में संशोधन.

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-1, 1985 संस्करण के नियम 805 की क्रम संख्या 1 को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्वी सं. 130 के अनुसार संशोधित किया जाए. यह संशोधन दिनांक 30.7.2014 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू) 2014/एफ यू-1/1 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की तारीख से प्रभावी है.

2. कृपया पावती दें.

संलग्नक: अग्रिम शुद्धि पर्वी

  
(सुनील कुमार)

निदेशक, स्था.(कल्याण)  
रेलवे बोर्ड

सं. ई(डब्ल्यू)2014/एफयू-1/1

नई दिल्ली, दिनांक 18.01.2017

1. वित्त सहायक एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं.224, रेल भवन, नई दिल्ली  
(40 अतिरिक्त प्रतियां सहित)

  
कुल वित्त आयुक्त/रेलें

भारतीय रेल स्थापना संहिता विरुद्ध-1, 1985 संस्करण  
(द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण-2003)

SPONG

5  
08/2017

अध्याय- 8

कर्मचारी हित विधि

अग्रिम क्षति पत्रों सं.

नियम 805 की तम संख्या 1 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाए:

| क्रम सं. | शीर्ष/क्रियाकलाप                                                                                                                                                                                                                                                                      | आवृत्ति (र.में) | क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | शिक्षा- ₹2400/- से अधिक के ग्रेड पे(संशोधन-पूर्व रेल सेवा वेतन नियम, 2008 के अनुसार) में अराजपत्रित कर्मचारियों के आश्रितों के लिए उच्च तकनीकी/वृत्तिक शिक्षा के लिए रेल सेवा(संशोधित वेतन) नियम, 2016 के पे मैट्रिक्स में संशोधित लेवल के तदनुसूची @ ₹1500 प्रति माह की छात्रवृत्ति. | 116             | ₹2400/ से अधिक के ग्रेड पे (संशोधन-पूर्व रेल सेवा वेतन नियम, 2008 के अनुसार) में रेल कर्मचारियों के आश्रितों के लिए उच्च तकनीकी/ वृत्तिक शिक्षा के लिए रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के पे मैट्रिक्स में संशोधित लेवल के तदनुसूची. |

(अधिकार: बोर्ड का दिनांक 08.12.2014 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू) 2014/एफयू-1/1)